तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **सम्पतराज टी शाह बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.प्रथम जोधपुर व अन्य)** सू.अ.अ. अपील संख्या 166/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25-07-2022	अपीलार्थी सम्पतराज टी शाह, पता वरिष्ठ नागरिक सदन ' आस्था ' दिग्विजयनगर, खेमे का कुआ जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 02.04.2022 में (1) स्वनिर्धारण द्वारा भूमि रूपान्तरण की रकम जमा करने संबंधी रजिस्टर सन् 1997 का अवलोकन करने , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर व प्रभारी अभिलेख शाखा जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 798 दिनांक 17.06.2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा संबंधित रजिस्टर बाबत् इस कार्यालय से संबंधित न होकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भूमि रूपान्तरण जोधपुर से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(4) के तहत कार्यालय के पत्रांक 539 दिनांक 25.04.2022 द्वारा प्रेषित कर प्रार्थी को उनके आवेदन पत्र मे वर्णित विशिष्टियों के अनुसार संबंधित अभिलेख के अवलोकन हेतु कार्यालय समय में सुविधानुसार आंमत्रित कर इस कार्यालय को अवगत कराने हेतु लिखा गया, परन्तु अतिरिक्त कलक्टर भूमि रूपान्तरण जोधपुर से सूचना अभी तक अपेक्षित है। रिपोर्ट में उक्त अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण इनको धारा 5(5) के तहत लोक सूचना अधिकारी मानते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कराने की प्रार्थना की। चूंकि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिस रिकॉर्ड (रजिस्टर) का अवलोकन करना चाहते है वो अतिरिक्त कलक्टर भूमि रूपान्तरण जोधपुर कार्यालय से संबंधित है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त कलक्टर भूमि रूपान्तरण जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त रजिस्टर का अवलोकन कराने हेतु 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	